न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 85/2017

हरचन्द पुत्र खिराज जाति जाट निवासी चक 10 एस डी पी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. रणजीत पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राधेश्याम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. नमल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. महम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक श्रीगंगानगर।
6. कालूराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 5 टी के डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. लालचन्द पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 5 टी के डब्ल्यू तसहील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागनर

दिनांक 28.04.2017

26/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 3, 4

श्री अमित स्वामी अभिभाषक रेस्पों. 6 व 7

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 26.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/ रेस्पों. सं. 1 से 4 ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि रणजीत बनाम कालूराम आदि का वाद विचाराधीन है। दावे के विचाराधीन रहते हुए विवादित भूमि विक्रय कर दी है। पूर्व में एक प्रा.पत्र संख्या 93/2016 रणजीत बनाम कालूराम पेश हुआ था जिसमें दिनांक 22.06.2016 को विवादित भूमि को रहन, बैय नहीं करने व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये थे जिसके विरूद्ध अपील पेश हुई जो दिनांक 08.08.2016 को खारिज कर दी। अपील के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश हुई जिसमें आदेशों की कियान्विति पर रोक लगा दी है। प्रतिवादीगण कालूराम व लालचन्द का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और उनके द्वारा दिनांक 19.10.2016 को 0.278 है0 रकबा का बैयनामा करवा दिया है। कानूनन अजनबी व्यक्ति बिना खाता विभाजन सांझा खाता में प्रवेश नहीं कर सकता यदि दौराने दावा अप्रार्थी ने बैयनामा की आड़ में कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 20 एल एन पी के मु.नं. 15 के कि.नं. 16, 17, 24, 25 व मु.नं. 16 के कि.नं. 5 व 6 की कुल 1.3910है0 रकबा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हस्तक्षेप न करें। किसी प्रकार से रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल न करें , मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 28.04.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 09.02.2017 को प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर आदेश पारित किया गया है एवं निगरानी में भी दिनांक 12.09.2017 को कालूराम आदि द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर इस न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को सही माना है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2016 के आदेश को स्थायी करने का आदेश उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि को रहन, बैय सम्बन्धी आदेश दिये हैं एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी यही आदेश निगरानी में पारित हुआ है जिससे किसी पक्षकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील में माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सं. टी.ए./ 6075/2016 श्रीगंगानगर कालूराम आदि बनाम रणजीत सिंह आदि निर्णय दिनांक 12.09.2017 की फोटो प्रति पेश की है जिसमें कालूराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की गई हैं जिसमें अधी. न्यायालय व इस न्यायालय के यथास्थिति के आदेश को सही माना है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मण्डल में कालूराम द्वारा प्रस्तुत 151 सीपीसी के प्रा.पत्र पर पारित आदेश की सत्य प्रतिलिपि की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में 212 आर.टी.एक्ट के प्रा.पत्र पर अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील एवं निगरानी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज की जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2017 निरस्त कर पत्रावली इन निर्देशों के साथ अधी. न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 एवं निगरानी सं. टी.ए./6075/2016 श्रीगंगानगर कालूराम आदि बनाम रणजीत सिंह आदि निर्णय दिनांक 12.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर